क्रम-संख्या--521

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1---खण्ड (क)

(उ0प्र0 अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 सितम्बर, 1977

आश्विन 7, 1899 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2796/सत्रह-वि0-1--75-1977

लखनऊ, 30 सितम्बर, 1977

अधिसूचना

विविध

सा0 पा0 नि0-20

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1977

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1977)

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (38) में शब्द "कोई विशिष्ट सदस्य या सभासद" के स्थान पर शब्द "कोई सभासद या कोई पदेन सदस्य या कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) सभासदों जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, परन्तु जो एक सौ से अधिक न होगी और जो संख्या उपधारा (3) और (4) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी, ";

(दो) खण्ड (ख) निकाल दिया जायगा ।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) सभासद कक्ष निर्वाचनों में चुने जायेंगे ।" ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 9 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 9 में, शब्द "विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 11 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (ग) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य या" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 11-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (4) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" जहां वे पहली बार आये हैं, निकाल दिये जायेंगे, और शब्द "यथास्थिति, सभासद या विशिष्ट सदस्य" के स्थान पर शब्द "सभासद" रख दिया जायेगा ।

धारा 13 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य तथा" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 20, 21 और 22 का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 20, 21 और 22 निकाल दी जायेंगी ।

धारा 23 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम-निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे

23—धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30-क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 539, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे धारा 6 की उपधारा (3) और (4) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों पर, यथा-वश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।"

धारा 25 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य, सभासद अथवा" के स्थान पर शब्द "सभासद" रख दिया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी;

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी;

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" और शब्द "क्रमशः विशिष्ट सदस्य अथवा" निकाल दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (5) में, खण्ड (2) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

(च) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(7) कोई व्यक्ति जो सभासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, सभासद नहीं रह जायगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायगा ।"

धारा 26 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 26 में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" और शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 30-क का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 30-क में, शब्द "तथा विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 45 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 45 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

14—मूल अधिनियम की धारा 46 में— धारा 46 का संशोधन

(क) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "विशिष्ट सदस्य और" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ठ) में शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ध) में, शब्द "तथा विशिष्ट सदस्य" और शब्द "तथा विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिये जायेंगे ।

15—मूल अधिनियम की धारा 47 में— धारा 47 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

16—मूल अधिनियम की धारा 50 में, जहां कहीं भी शब्द "विशिष्ट सदस्य" आये हों, निकाल दिये जायेंगे । धारा 50 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "और विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिये जायेंगे । धारा 51 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "विशिष्ट सदस्यों तथा" निकाल दिये जायेंगे । धारा 54 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 62 में— धारा 62 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) सभासद के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर, निर्वाचन में असफल किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका निर्वाचन में नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो या सम्बद्ध कक्ष के निर्वाचक द्वारा आपत्ति की जा सकती है ।";

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य अथवा" निकाल दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(4) याचिका, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर नगर में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला जज को प्रस्तुत की जायगी ।"

20—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "विशिष्ट सदस्य अथवा" निकाल दिये जायेंगे । धारा 65 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 81 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे । धारा 81 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) में, शब्द और कामा "विशिष्ट सदस्य," जहां कहीं भी आयें हों, निकाल दिये जायेंगे । धारा 83 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 85 में— धारा 85 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में—

(एक) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) उससे संलग्न प्रपत्र में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1-क) में—

(एक) प्रथम वाक्य में शब्द "सभासदों और विशिष्ट सदस्यों" के स्थान पर शब्द "और सभासदों" रख दिये जायेंगे; और

(दो) दूसरे वाक्य में, शब्द "और विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

24—मूल अधिनियम की धारा 87 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य", जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे । धारा 87 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 98 में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे । धारा 98 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 104, में उपधारा (2) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे । धारा 104 का संशोधन

धारा 133 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 133 में—

(क) उपधारा (2) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे ; और

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 538 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 538 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "और विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 539 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 539 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "तथा विशिष्ट सदस्य" तथा शब्द "और विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 565 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की धारा 565 में, उपधारा (1) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 570 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 570 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" और उसके पश्चात् आया हुआ कामा निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 572 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 572 में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिये जायेंगे ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

33—मूल अधिनियम में या मूल अधिनियम की धारा 32 के अधीन पहले से जारी की गयी परिसीमन आज्ञा में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सभी परिसीमन आज्ञा इस परिष्कार के साथ प्रवृत्त रहेगी कि प्रत्येक कक्ष के लिये सभासदों के लिये उक्त आज्ञा में उल्लिखित एक स्थान के बजाय दो स्थान होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचित आज्ञा द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का पुनर्वितरण विभिन्न कक्षों में कर सकती है और ऐसी अधिसूचित आज्ञा देने के पूर्व इस सम्बन्ध में आपत्तियों के लिये प्रस्ताव का कोई प्रारूप प्रकाशित करना आवश्यक न होगा ।

No. 2796(2)/XVII-V-1—75-1977

Dated Lucknow, September 30, 1977

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Sanshodhan) Adhiniyam, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1977), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 30, 1977:

THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA (AMENDMENT) ACT, 1977

(U. P. Act no. 12 *of* 1977)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959.

It is hereby enacted in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika (Amendment) Act, 1977.

Amendment of section 2 of U.P. Act II of 1959.

2. In section 2 of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (38) *for* the words "a Vishishta Sadasya or a Sabhasad", the words "Sadasya or a Paden Sadasya or a nominated member" shall be *substituted.*

Amendment of section 6.

3. In section 6 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1)—

(i) *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted,* namely—

"(*a*) Sabhasads whose number shall be such as the State Government may, by notification in the official *Gazette* fix, but

not exceeding one hundred, which number shall be in addition to the members nominated under sub-sections (3) and (4) ;";

(ii) clause (*b*) shall be *omitted ;*

(*b*) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely—

"(2) The Sabhasads shall be elected at ward elections." ;

(*c*) in sub-section (3), the words "or Vishishta Sadasya" shall be *omitted* ;

(*d*) in sub-section (4), the words "or Vishishta Sadasya" shall be *omitted.*

Amendment of section 9.

4. In section 9 of the principal Act, the words "Vishishta Sadasyas" shall be *omitted.*

Amendment of section 11.

5. In section 11 of the principal Act, in sub-section (1),—

(*a*) in clause (*c*), the words "or Vishishta Sadasya" shall be *omitted ;*

(*b*) in clause (*d*), the words "Vishishta Sadasya or" shall be *omitted.*

Amendment of section 11-A.

6. In section 11-A of the principal Act, in sub-section (4), the words "or a Vishistha Sadasya", where they first occur, and the words "or a Vishishta Sadasya, as the case may be," shall be *omitted.*

Amendment of section 13.

7. In section 13 of the principal Act, the words "Vishishta Sadasyas and" shall be *omitted.*

Omission of sections 20, 21 and 22.

8. Sections 20, 21 and 22 of the principal Act shall be *omitted.*

Substitution of section 23.

9. *For* section 23 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely—

Certain provisions applicable to Sabhasads to apply to nominated members.

"23. The provisions of sections 24, 25, 26, 28, 29, 30-A, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 539, 565, 570 and 572 as they apply to Sabhasads shall, *mutatis mutandis,* apply to members nominated under sub-sections (3) and (4) of section 6."

Amendment of section 25.

10. In section 25 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1) the words "a Vishishta Sadasya or" shall be *omitted ;*

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted ;*

(*c*) sub-section (3) shall be *omitted ;*

(*d*) in sub-section (4), the words "a Vishishta Sadasya or" wherever occurring shall be *omitted ;*

(*e*) in sub-section (5), in clause (ii), the words "or Vishishta Sadasya" shall be *omitted* ;

(*f*) *for* sub-section (7), the following sub-section shall be *substituted,* namely—

"(7) Any person who, after being elected as Sabhasad, becomes disqualified under this section shall not remain a Sabhasad and his seat shall become vacant with effect from the date of incurring such disqualification."

Amendment of section 26.

11. In section 26 of the principal Act, the words "or Vishishta Sadasya", wherever occurring, shall be *omitted.*

Amendment of section 30-A.

12. In section 30-A of the principal Act, the words "and Vishishta Sadasyas" shall be *omitted.*

Amendment of section 45.

13. In section 45 of the principal Act, the words "the Vishishta Sadasyas" shall be *omitted.*

Amendment of section 46.

14. In section 46 of the principal Act—

(*a*) in the opening paragraph the words "Vishishta Sadasyas and" shall be *omitted*;

(*b*) in clause (*l*) the words "or Vishishta Sadasyas" shall be *omitted*;

(*c*) in clause (*s*), the words "and Vishishta Sadasyas" and "Vishishta Sadasyas and" shall be *omitted*.

Amendment of section 47.

15. In section 47 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1) the words "or Vishishta Sadasyas" shall be *omitted*;

(*b*) in sub-section (2), the words "or Vishishta Sadasya" shall be *omitted*.

Amendment of section 50.

16. In section 50 of the principal Act, the words "Vishishta Sadasya", wherever occurring shall be *omitted*.

Amendment of section 51.

17. In section 51 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*b*), the words "and Vishishta Sadasyas" shall be *omitted*.

Amendment of section 54.

18. In section 54 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*b*), the words "and Vishishta Sadasyas" shall be *omitted*.

Amendment of section 62.

19. In section 62 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely—

"(1) The election of any person as Sabhasad may be questioned by any unsuccessful candidate at the election or by any person whose nomination paper was rejected at the election or by any elector of the ward concerned.";

(*b*) in sub-section (3), the words "Vishishta Sadasya or" shall be *omitted*;

(*c*) for sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely—

"(4) The petition shall be presented to the District Judge exercising jurisdiction in the City within 30 days of the declaration of result of the election."

Amendment of section 65.

20. In section 65 of the principal Act, in the proviso to sub-section (1), the words "Vishishta Sadasya or" shall be *omitted*.

Amendment of section 81.

21. In section 81 of the principal Act, the words "Vishishta Sadasya" shall be *omitted*.

Amendment of section 83.

22. In section 83 of the principal Act, in sub-section (1), the words and comma "Vishishta Sadasya," wherever occurring shall be *omitted*.

Amendment of section 85.

23. In section 85 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1)—

(i) in the opening paragraph, the words "or a Vishishta Sadasya" shall be *omitted*;

(ii) in the form appended thereto, the words "Vishishta Sadasya" shall be *omitted*;

(*b*) in sub-section (1-A)—

(i) in the first sentence, *for* the words "Sabhasads and Vishishta Sadasyas" the words "and Sabhasads" shall be *substituted*; and

(ii) in the second sentence, the words "and Vishishta Sadasyas" shall be *omitted*;

(*c*) in sub-section (2), the words "or elected a Vishishta Sadasya" shall be *omitted*;

(*d*) in sub-section (3) the words "Vishishta Sadasya" shall be *omitted*.

24. In section 87 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*a*), the words "Vishishta Sadasya" shall be *omitted.* Amendment of section 87.

25. In section 98 of the principal Act, the words "or a Vishishta Sadasya" shall be *omitted.* Amendment of section 98.

26. In section 104 of the principal Act, in sub-section (2), the words "or a Vishishta Sadasya" shall be *omitted.* Amendment of section 104.

27. In section 133 of the principal Act,— Amendment of section 133.

(*a*) in sub-section (2), the words "or a Vishishta Sadasya" shall be *omitted*; and

(*b*) in sub-section (3), the words "or a Vishishta Sadasya" shall be *omitted.*

28. In section 538 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (*a*), the words "and Vishishta Sadasyas" shall be *omitted.* Amendment of section 538.

29. In section 539 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (*a*), the words "and Vishishta Sadasyas", wherever they occur, shall be *omitted.* Amendment of section 539.

30. In section 565 of the principal Act, in sub-section (1), the words "or Vishishta Sadasya" shall be *omitted.* Amendment of section 565.

31. In section 570 of the principal Act, the words "Vishishta Sadasya" and the comma occurring thereafter shall be *omitted.* Amendment of section 570.

32. In section 572 of the principal Act, in clause (*a*), the words "Vishishta Sadasya" shall be *omitted.* Amendment of section 572.

33. Notwithstanding anything contained in the principal Act, or in the delimitation orders already issued under section 32 of the principal Act, but without prejudice to the powers of the State Government under section 33 of that Act, all such delimitation orders shall continue to remain in operation with the modification that for each ward there shall be two seats of Sabhasads instead of one as mentioned in such orders: Transitory provision.

Provided that the State Government may by notified order redistribute the total number of seats reserved for members of Scheduled Castes among different wards, and it shall not be necessary to publish any draft proposals in this regard for objections before making such notified order.

आज्ञा से,
रमेशचन्द्र देव शर्मा,
विशेष सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 142 सा० (विधा०)—30-9-77—(2118)—1977—780 (मेको०)।